

फर्द अहकाम

त उपखण्ड अधिकारी एव उपखण्ड मजिस्ट्रेट
राजूलाल

मुकाम-गंगापुर सिटी
प्रधानाचार्य रा0सी0सी0स्कूल बगलाई वगैरा

बनाम

दिनांक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा नं. 14 सन् 25

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

27.03.2025 यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी राजूलाल पुत्र स्व0 श्री रामरतन जाति मीना निवासी बगलाई तहसील वजीरपुर की ओर से श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट ने हमारे समक्ष उपस्थित होकर पेश किया। प्रार्थी के वकील को सुना गया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। तलबी अप्रार्थीगण जरिए नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 24.04.2025 को पेश हो।

[Handwritten Signature]

24/4/2025

पत्रावली पेश हुई। वकील उमरुल्लाह उफ0।
प्रतिवादी उफ0। जवाब देने प्रतिवादी फरद
समक्ष आया गया। वस्तु जवाब प्रतिवादी दि०
22/5/2025 को पेश हो।

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
उपखण्ड अधिकारी
राजूलाल

22/5/2025

पत्रावली पेश हुई। वकील उमरुल्लाह उफ0।
जवाब प्रतिवादी प्रस्तुत। पत्रावली वस्तु
प्रार्थना पत्र दिनांक 5/6/2025 को पेश हो।

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
उपखण्ड अधिकारी
राजूलाल



तारीख
हुक्म

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

5/6/25

पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/
अपीलाधी/रिस्पोंडेंट/प्राथी/अप्राथी/उभयपक्ष
उपस्थित है/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन
अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर है/अन्य
कार्यो में व्यस्त है/का स्थानांतरण हो गया है।
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक...
को पेश हो।

रीडर

24/11/25

पत्रावली पेश हुई। वकील प्राथी उपस्थित
वह हेतु समय था। पत्रावली वाले वह दिनांक
11/9/25 को पेश हो।

सुन

11-9-25

पत्रावली पेश हुई वकील प्राथी उपस्थित
उपस्थित है। पत्रावली वाले वह दिनांक
13-11-25 को पेश हो।

सुन

13/11/25

पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/
अपीलाधी/रिस्पोंडेंट/प्राथी/अप्राथी/उभयपक्ष
उपस्थित है/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन
अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर है/अन्य
कार्यो में व्यस्त है/का स्थानांतरण हो गया है।
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक...
को पेश हो।

—दुनाब (sir)

रीडर

8.1.26

पत्रावली पेश हुई वकील प्राथी एवं एक प्राथी अनुपस्थित
न्यायालय समय समाप्त तक कई बार अवकाश मांगे गये
परन्तु प्राथी व उनके वकील उपस्थित न्यायालय नहीं रहे
हैं। अतः प्रा. प्रा. आचार्य विवेचना कासक प्रैक्टिस कासक
दायरे में जारी किया गया है पत्रावली पूर्वानुसार
दिनांक... को पेश हो।

उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर